BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, DELHI
Original Application 134/2022 and 267/2022

In the Matter of :
Tejasvi Chandra --- Applicant
Vs.
Madhu Kamboj --- Respondent

UTTARAKHAND
DATED: 28 October, 2022

REPLY TO THE RESPONDENT BY THE APPLICANT IN PERSON

1. The respondent in their reply has put up an allegation on me that I have not approached the Hon'ble Tribunal with a clear intention and that this original application was filled by me with malicious intentions. In the due course of law, in order to get your grievance redressed one has to go through a proper channel. I, on the other hand filled multiple complaints, applications, RTI etc. to the concerned departments and the district authorities. None of my issues were ever resolved and no discrete solution was ever provided. I left with no other option, had to approach the Hon'ble NGT to seek justice. It is for the court to decide whether my application was malicious or not.

2. They have allegedly said that my claims are unreliable and inadmissible in evidence. However I have provided the Hon'ble Court with all the available, to the date facts and evidences as and when required. I have also submitted Miscellaneous Application submitting the various other required documents.

3. All the NOCs, LOI, applications made by Smt. Madhu Kambhoj are dated after 07.01.2020. This can be clearly seen in the annexures submitted by her own self. The letter of intent issued to her was on 02.11.2020 after which they have submitted an application to the Office of District Collector and other departments on 31.12.2020.

4. The respondent has stated that the adjoining school i.e Sieirra International School has given NOC that they will shift the school in the near future on 29.06.2021. However it has been more than one year and the said school is fully functional. As per the latest SOPs, the school is functioning in the physical mode with all the students attending regular classes. They have also stated that the school does not have and objection with the petrol pump on the proposed site. However this does not give anyone a ground to operate illegally.

5. The respondent in their reply has played with the dates and manipulated them as per their own convenience. They themself have written in the beginning of their reply that the L.O.I was issued on 02.11.2020. In another point, they have mentioned that the

L.O.I was issued on 06.12.2019. They have tried to throw dust in the eyes of the Hon'ble court by giving false information.

6. The respondent has agreed that the proposed site map has not been approved yet. If the map of said site is still impending then how can one built a petrol pump without the approval of the development authority. This show that the respondent himself agreed that they have running this proposed outlet illegally. On the other hand, this shows that they have been running this illegal outlet on the agricultural land because no land use has been changed. So how can the concern person can do commercial activity on an agricultural land.

7. Writ petition no. 986 of 2021 was filled in the Hon'ble Court of Uttarakhand by one Trilok Semwal in which the MDDA was directed to take necessary action as deemed suited by them. In this regard, sealing orders were passed to seal the said retail outlet. As it was not fulling the bye-laws laid down by the development authority. (ANNEXURE-1)

8. The respondent has said that she is not a qualified lady and is not aware of the laws applicable on the project. This is no way to seek relief as this is not a reason to perform illegal activity on pretext of the unqualified. Every law is applicable to everyone in this country whatsoever.

9. The respondent has denied that they selling fuel in the said petrol pump retail outlet. The same can be verified by seeing the copy of receipt of the bill. (ANNEXURE-2)

Kindly acknowledge this.

Annexure-1
(3)

न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

अपील संख्या-146/2020-21

अन्तर्गत धारा 28 क (4) उत्तराखण्ड
नगर योजना एव विकास अधिनियम

श्रीमती मधु काम्बोज बनाम सचिव, एम0डी0डी0ए0

नकल आदेश दि० -2-7-2021

प्रश्नगत अपील संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेश पत्रांक 749/वाद संख्या सी-0323/एस-3/2021 दिनांक 26-06-2021 के विरूद्ध योजित की गयी है।

अपील की ग्राह्यता पर वि0 अधिवक्ता अपीलार्थिनी की बहस सुनी। वि0 अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिनी को प्रश्नगत सम्पत्ति दाननामा दिनांक 10-11-2020 के आधार पर प्राप्त हुई है। अपीलार्थिनी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर रिटेल आउटलेट डीलरशिप हेतु इण्डियन आयल कार्पोरेशन को आवेदन किया गया। दिनांक 02-11-2020 को इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा कुछ शर्तों को पूर्ण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अपीलार्थिनी द्वारा इण्डियन ऑयल कार्परिशन लि0 द्वारा उल्लिखित शर्तो व अर्हताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विभागो से अनुमति प्राप्त की गयी। अपीलार्थिनी द्वारा विकास योजना भी प्रस्तुत की गयी जिसे इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है जो मानचित्र संख्या सी-0342/20-21 के रूप में पंजीकृत है। अपीलार्थिनी द्वारा उन सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जिनकी अनुमति की आवश्यकता फिलिंग स्टेशन के संचालन के लिये आवश्यक थी। अपीलार्थिनी द्वारा मानचित्र में छूट प्रदान करने के लिये भी आवेदन किया गया है तथा मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार द्वारा मानचित्र मे छूट हेतु अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया है। मानचित्र स्वीकृति मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रदान की जानी है जिसके लिये अपीलार्थिनी द्वारा प्राधिकरण में आवेदन कर दिया गया है। झूठी शिकायत के आधार पर अपीलार्थिनी के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद योजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा वाद में दिनांक 13-05-2021, 20-05-2021, 09-06-2021 की तिथियां निर्धारित की गयी। अपीलार्थिनी द्वारा स्थल पर कुछ निर्माण को स्वयं ही ध्वस्त कर दिया है तथा वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थिनी के मानचित्र का निस्तारण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किया जाना है। प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक की प्रतीक्षा किये बिना ही आक्षेपित सीलिंग आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त करने का अनुरोध वि0 अधिवक्ता द्वारा किया गया।

प्राधिकरण के आदेश का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के आदेश मे उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के स्थल पर लगभग 100' गुणा 100' के क्षेत्रफल में पेट्रोल पम्प का निर्माण किये जाने के कारण नोटिस प्रेषित करते हुये वाद योजित किया गया। नोटिस विपक्षी के पति श्री रविन्द्र काम्बोज द्वारा दिनांक 05-05-2021 को प्राप्त किया गया। वाद में विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13-05-2021, 20-05-2021 व 09-06-2021 की तिथियां नियत की गयी। उक्त तिथियो पर विपक्षी उपस्थित हुये। विपक्षी द्वारा जो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये गये है वह सन्तोषजनक नहीं है। सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की आख्या दिनांक 14-06-2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त अवैध निर्माण के संबंध में शिकायतकर्ता श्री त्रिलोक सेमवाल द्वारा बार-बार शिकायतें की जा रही है कि विपक्षी श्रीमती मधु काम्बोज द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त वाद मे अवैध निर्माण को सील करने की भी संस्तुति की गयी है। शिकायतकर्ता श्री त्रिलोक सेमवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या (M/S) संख्या 966/2021 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 7 आदेश दिनांक 13-05-2021 में उल्लेख किया है कि "The writ petition is disposed of with a direction to the Competent Authority in MDDA to take decision on petitioners representation dated 01-05-2021 which is Annexure no. 2 the writ petition, within four weeks from today. It goes without saying that while taking decision on petitioners application, respondent no. 7 will also be heard." मा0 उच्च न्यायालय के आदेश

Tejasvi
28/10/22

के क्रम में प्राधिकरण द्वारा विपक्षी एवं शिकायतकर्ता दोनों को सुना गया जिसमें विपक्षी एवं शिकायतकर्ता उपस्थित हुये और दोनों द्वारा अपने अपने प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये गये। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा किया गया अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही प्राधिकरण कार्यालय में मानचित्र संख्या सी–0661/20–21 स्वीकृति हेतु जमा किया गया है जो कार्यवाही मे विचाराधीन है, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा पेट्रोल पम्प बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के चलाया जा रहा है जिस पर अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता से पुनः आख्या प्राप्त की गयी । अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की मौका निरीक्षण आख्या दिनांक 25–06–2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान में स्थल पर पेट्रोल पम्प संचालित किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा स्थल पर एक कमरे का निर्माण कार्य किया गया था जिसकी आर0सी0सी0 छत को तोड़कर टीनशेड डाली गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी प्राधिकरण के समक्ष गलत तथ्य रखकर वाद को जानबूझ कर लम्बित रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में अवैध निर्माण को सील करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नही है। अतः उक्त आधार पर निर्माण को सील करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के स्थल पर निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत सीलिंग आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थिनी का कथन है कि उसके द्वारा सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जहां तक सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रश्न है, उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु प्राप्त किये गये हैं। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र से अपीलार्थिनी को स्थल पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलार्थिनी द्वारा स्थल पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के निर्माण कार्य किया गया है जिसे सील करने का आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत है। अपीलार्थिनी द्वारा स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु निर्माण के संबंध में प्राधिकरण में मानचित्र प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलार्थिनी के अनुसार इसे प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः इस संबंध में प्राधिकरण मानचित्र पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करे।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थिनी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र पर प्राधिकरण नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करे। चूंकि अपीलार्थिनी का वर्तमान निर्माण बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किया गया है। अतः निर्माण के सील किये जाने के संबंध मे अपीलार्थिनी को कोई अनुतोष नहीं दिया जा रहा है। प्राधिकरण निर्माण को तत्काल सील करे किन्तु प्रस्तुत मानचित्र पर नियमानुसार निर्णय होने तक प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही न करे। आदेश की प्रति प्राधिकरण को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

दिनांक 02.07.2021

Raman
(रविनाथ रमन)
आयुक्त / अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

CANCELLED

CANCELLED

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार 7/3/22
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
(कैम्प–देहरादून)

प्रतिलिपिकार ..
मिलानकार ..
फैसला दिनांक 2-7-2021
प्रार्थना पत्र देने की तिथि 28-2-2022
नकल जारी करने की तिथि 2-3-2022

Tejasvi
28/10/22

Mussoorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar Saharanpur road,
Near ISBT, Dehradun-248001
(Uttarakhand) INDIA

Phone : +91 135 6603100
Fax : +91 135 6603103
Email : info@mddaonline.in
Website : www.mddaonline.in

(5)

Note Sheet

...rutiny Report Verification~Junior Engineer(Govind Singh)	Start Date: 01/03/2021 10:48	To 04/03/2021 08:21
... Objection~Superintendent Engr.(Harichand Singh Rana)	Start Date: 04/03/2021 08:21	To 04/03/2021 10:43

Raised by: Govind Singh(Junior Engineer)
Objection Details: SUBMIT DRAWING IS NOT AS PER BY LAWS. PUTUP DAWING AS PER SITE & AS PER BY LAWS. INFOM APPLICANT.
Documents, By-Laws/
Noting: SUBMIT DRAWING IS NOT AS PER BY LAWS. PUTUP DAWING AS PER SITE & AS PER BY LAWS. INFOM APPLICANT.

35. Objection Raised~Applicant(APPLICANT) — Start Date: 04/03/2021 10:43 — To 09/03/2021 15:02
Noting: OBJECTION REMOVED

36. Objection Response Received~Superintendent Engr.(Harichand Singh Rana) — Start Date: 09/03/2021 15.02 — To 09/03/2021 15:42
Noting: please examine.

37. Scrutiny Report Verification~Junior Engineer(Govind Singh) — Start Date: 09/03/2021 15:42 — To 12/03/2021 14:23

38. Internal Query~CTCP(Shashi Mohan Srivastava) — Start Date: 12/03/2021 14:23 — To 03/04/2021 15:07
Created by: Govind Singh(Junior Engineer)
Description: in zonal plan width of Mothorowala road (In west side) is 30.0 mt & (East side) is 12.0mt wide canal road after road land use is primary residential only as per given distance in key plan & location in zonal plan & google image /co-ordinates, filling station activity is permissible in residential land use by board according to zoning regulation of Master plan SIR, AS PER SITE ROAD 11.50 M REQUIRED ROAD MINIMUM 18.00 M.WIDE T JECTION POINT REQUIRED 60.00 AS PER SITE ONLY 45.00 M PL EXANIN . SIR.
Noting: please find attached.

39. Scrutiny Report Verification~Junior Engineer(Govind Singh) — Start Date: 03/04/2021 15.07 — To 07/04/2021 08:02
Noting: OBJECTION IS NOT REMOVE AT SIDE ROAD ONLLY 11.86 M REQUIRED PROAD UNDER NAGAR NIGAM MINIMUM 18.00 M WIDE ROAD. T .JUNCTION POINT REQUIRE AS PER BY LAWS. 60.00 DISTANCE AT SITE ONLY 45.00 DINTANCE .T. JUNCTION POINT . AS PER SITE IS NOT PERMISSIBLE PETROL PUMP. OBJECTION INFORM ANY TIME RECOMMENDED FOR REJECTION

40. SE Verification~Superintendent Engr.(Harichand Singh Rana) — Start Date: 07/04/2021 08:02 — To 07/04/2021 10:45
Noting: OBJECTION IS NOT REMOVE AT SIDE ROAD ONLLY 11.86 M REQUIRED PROAD UNDER NAGAR NIGAM MINIMUM 18.00 M WIDE ROAD. T .JUNCTION POINT REQUIRE AS PER BY LAWS. 60.00 DISTANCE AT SITE ONLY 45.00 DINTANCE .T. JUNCTION POINT . AS PER SITE IS NOT PERMISSIBLE PETROL PUMP. OBJECTION INFORM ANY TIME RECOMMENDED FOR REJECTION

41. Sec Verification ~Secretary(Girish Chandra Gunwant) — Start Date: 07/04/2021 10:45 — To 08/04/2021 21:12
Noting: As proposed recommended for rejection

42. Reopen~Applicant(APPLICANT) — Start Date: 08/04/2021 21:12 — To 13/04/2021 12:...
...r. I have submitted the proposal for fuel station (petrol pump), kindly put this file in board meeting for ... And we will remove all deviation if exists in application according ... and sanction letter ... NOCs, so that we can get the final approval from MDDA & received the approved map ...

...tion Date 08/06/2021

[Stamp: Oath Commissioner, High Court ...]

सहायक अभियन्ता
M.D.D.A

Regd. No. ... 35/2013
Oath Commissioner
High Court of Uttarakhand
at Nainital

28/10/22 5/7/12

(6)

Annexure-2.

इंडियनऑयल

IndianOil

Bill No:Sep-252101-ORGNL
Trns.ID:0000000300026329
Atnd.ID:
Receipt:Physical Receipt
Vehi No:NotEntered
Mob.No :NotEntered
Date :13/09/2022
Time :09:49:52
FP. ID :1
Nozl No:1
Fuel :
Preset :Rs.50
Rate :Rs.95.35
Sale :Rs.50.00
Volume :0.52L

Tejasvi
13/09/22

Tejasvi
28/10/22